



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 122] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 138(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 को, जहाँ तक उनका संबंध कांस्टेबल के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में कांस्टेबल पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, कांस्टेबल समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 हैं ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कान्सटेबल	25* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण : कार्य चालन संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अधिकारियों को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स (21700-69100 रु.) में स्तर-3	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	(i) 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ; और (ii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या वन्यजीव विभाग, पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, केन्द्रीय जॉच ब्यूरो, स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के ऐसे अधिकारी,</p> <p>(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। और</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया हो।</p> <p>टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन</p> <p>वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा उनके काडर नियंत्रण प्राधिकारी से अभिव्यक्त सहमति प्राप्त करने के बाद आमेलित किया जाएगा।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 9-5/2018-एफ.ई.]

एस. के. परिडा, उप सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Wildlife Crime Control Bureau, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2009, in so far they relate to the posts of Constable, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of the recruitment to the post of Constable in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Wildlife Crime Control Bureau, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Wildlife Crime Control Bureau, Constable Group 'C' Post Recruitment Rules 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable	25*(2019) *subject to variation dependent on work load.	General Central Services Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level 3 in the pay matrix, (Rs.21700-69100).	Not applicable.

	Note: The Officer shall be Liable to be deployed anywhere in India depending on operational needs.			
--	---	--	--	--

Age-limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of Recruitment	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Eighty per cent. by deputation; and (ii) twenty per cent. by deputation/absorption	<p>Deputation:</p> <p>Officers in the Central Government or the State Government or the Union Territories, Wildlife Departments, Police Forces, Railway Protection Force, Central Bureau of Investigation, Narcotics Control Bureau;</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis. and</p> <p>(ii) Matriculate from a recognised Board or University.</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not exceed five years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Deputation/absorption:</p> <p>The officers on deputation in Wildlife Crime Control Bureau shall be absorbed after obtaining express consent from their Cadre Controlling Authority by the Wildlife Crime Control Bureau, New Delhi.</p>	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 9-5/2018-FE]

S. K. PARIDA, Dy. Secy.